कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

वन अधिकार अधिनियम के संबंध में दिनांक 19.03.2021 का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 19.03.2021 को ग्राम पंचायत पहाड़पुर के **बंशी पहाड़पुर वन क्षेत्र तहसील** रूपवास जिला भरतपुर क्षेत्र को बंध–बारैठा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र के **ब्लॉक ए व बी के सम्पूर्ण** क्षेत्र 646.56 हैक्टे॰ वन भूमि को डी–नोटिफाईड करने के संबंध में एफ0आर0ए0 सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत गठित कमेटी के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। प्रपत्र अ अनुसार अधिकारीगण उपस्थित आये।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 में जिला स्तरीय कमेटी में जिला परिषद् के तीन सदस्यों का होना (जिनमें से कम से कम दो सदस्य अनुसूचित जनजाति के होने आवश्यक हैं) भी अंकित है। इस सम्बन्ध में अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् भरतपुर द्वारा अपने पत्रांक 41 दिनांक 14.01.2021 से अवगत कराया गया है कि *"..... वर्तमान में भरतपुर जिले में जिला परिषद् का गठन नहीं हुआ है, जिस कारण जिला परिषद् सदस्यों का निर्वाचन नहीं होने के कारण उक्त समिति हेतु मनोनयन सम्भव नहीं है।"*

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आगे बढाई गई। उक्त बैठक में अधीक्षण खनि0 अभियन्ता भरतपुर द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत पहाड़पुर के बंशी पहाड़पुर वन क्षेत्र, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर क्षेत्र को बंध–बारैठा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी के सम्पूर्ण क्षेत्र 646.56 हैक्टे॰ वन भूमि को डी–नोटिफाईड कराया जाना है। उक्त वन भूमि को डी–नोटिफाईड कराने से उक्त क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हो सकेगी। तथा वैध लीज जारी होने से राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। चूंकि प्रश्नगत भूमि वन भूमि है, इसलिये वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इसी निरन्तरता में उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा अपने पत्रांक 376 दिनांक 19.03.2021 से अवगत कराया है कि :–

1. तहसीलदार रूपवास द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार बंशीपहाडपुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी में आराजी ख0न0 01/212.85, 31/3.62, 32/0.05, 33/4.99, 34/0.24, 40/1.70, 74/21.20, 76/400.63 व 77/1.28 हैक्टे0 कुल 646.56 हैक्टे0 भूमि शामिल है।
2. बंशीपहाडपुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पहाड़पुर के उक्त भूमि पर कोई भी अनुसूचित परिवार निवास नहीं करता है तथा रिकॉर्ड अनुसार ग्राम पंचायत पहाड़पुर में उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई आवासीय या अन्य कोई पट्टा जारी नही किया गया है। तथा न ही कोई आवासीय क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी क्षेत्र प्रभावित करता है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति रूपवास द्वारा अपने पत्रांक 1129 दिनांक 18.03.2021 से अवगत कराया है कि दिनांक 16.03.2021 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति/अनापत्ति दी गयी है। साथ ही ग्राम पंचायत पहाडपुर द्वारा उक्त ब्लॉक ए एवं बी की कुल भूमि 646.56 हैक्टे0 वन भूमि के डाईवर्जन हेतु अनापत्ति जारी की गई है।

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू–विज्ञान विभाग
रूपवास (भरतपुर)

Fax: (05644) 223355 Phone: 223086(O), 223316(R) Email : rajbha@nic.in

उक्त प्रकरण में उक्त आराजी पर उक्त अधिनियम के तहत किसी का हित प्रभावित नहीं हो रहा है। ग्राम सभा की अनापत्ति एवं उपखण्ड स्तरीय समिति के द्वारा किसी भी परम्परागत वन निवासी का हित प्रभावित नहीं होना अवगत कराये के आधार पर एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसी आशय के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(प्रताप सिंह मीणा)
अधीक्षण खनि0
अभियन्ता भरतपुर

(प्रतिनिधि)
अति0 मुख्य कार्यकारी
अधिकारी पदेन परियोजना
अधिकारी–माडा, जिला
परिषद् भरतपुर

(मोहित गुप्ता)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

19-03-21
(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

(ललित मंगल)
सहायक खनि0
अभियंता रूपवास

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
रूपवास (भरतपुर)